

भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 3098

दिनांक 21.12.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

ओडीएफ प्लस गांव

**3098. श्री संजय भाटिया:**

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) गांवों से इतर गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और
- (ख) स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के चरण-II की शुरुआत से अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और घट्टर-वार परियोजनाओं और आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति  
(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) और (ख): एसबीएम (जी) चरण-II को वर्ष 2020-21 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ओडीएफ स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करना और देश के सभी गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) व्यवस्था करना यानी वर्ष 2024-25 तक गांवों को ओडीएफ से ओडीएफ प्लस में बदलना है। एसबीएम (जी) चरण-II के तहत निम्नलिखित सामुदायिक स्तर की एसएलडब्ल्यूएम गतिविधियों को वित्तपोषित किया जाता है:

- (i) कंपोस्ट खाद बनाने या जैव-गैस संयंत्रों के माध्यम से जैविक कचरे का प्रबंधन।
- (ii) गैर-बायोडिग्रेडेबल (प्लास्टिक) कचरे के लिए भंडारण/पृथक्करण केंद्र का निर्माण।
- (iii) ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों की स्थापना।
- (iv) सोखता गड्ढों/लीच पिट/मैजिक पिट के माध्यम से, जहां भी संभव हो, या अन्य ग्रे-वाटर प्रबंधन प्रौद्योगिकियों जैसे अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित आर्द्रभूमि, आदि के माध्यम से जहां भी आवश्यक और व्यवहार्य हो, ग्रे-वाटर प्रबंधन।
- (v) आस-पास के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)/फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (एफएसटीपी) सुविधाओं में सह-शोधक के माध्यम से या ट्रेचिंग या एफएसटीपी की स्थापना करके मलीय कचरा प्रबंधन (एफएसएम), जहां कहीं भी आवश्यक हो,

देश में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) प्लस गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-1 में दी गई है। एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत सृजित विभिन्न एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

एसबीएम (जी) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी घटकों के लिए समेकित रूप से निधियां जारी की जाती हैं। एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत आबंटन और जारी राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध-3 में दिया गया है।

दिनांक 15-12-2023 की स्थिति के अनुसार ओडीएफ प्लस घोषित गांवों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या						
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांव	ओडीएफ प्लस घोषित गांव			
			उदीयमान	उज्ज्वल	उत्कृष्ट	कुल
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	244	0	0	189	189
2	आंध्र प्रदेश	18712	16746	880	1010	18636
3	अरुणाचल प्रदेश	5410	2418	732	420	3570
4	असम	25437	20209	4399	829	25437
5	बिहार	36891	17733	2355	5890	25978
6	छत्तीसगढ़	18816	8465	1878	3253	13596
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	97	0	0	97	97
8	गोवा	365	195	146	24	365
9	गुजरात	18282	8269	3432	6581	18282
10	हरियाणा	6757	4394	409	1248	6051
11	हिमाचल प्रदेश	16243	5792	9453	998	16243
12	जम्मू एवं कश्मीर	6650	0	0	6650	6650
13	झारखंड	29411	20564	1207	673	22444
14	कर्नाटक	26274	23365	2344	565	26274
15	केरल	1509	55	15	1439	1509
16	लद्दाख	238	184	24	30	238
17	लक्षद्वीप	10	0	0	10	10
18	मध्य प्रदेश	50279	19049	1009	29967	50025
19	महाराष्ट्र	40270	15201	1028	10972	27201
20	मणिपुर	2556	14	1	25	40
21	मेघालय	5758	4664	349	338	5351
22	मिजोरम	678	32	5	484	521
23	नागालैंड	1425	130	45	308	483
24	ओडिशा	46778	7926	145	19019	27090
25	पुदुचेरी	108	70	0	38	108
26	पंजाब	11947	9523	151	73	9747
27	राजस्थान	42097	21730	6827	1478	30035
28	सिक्किम	403	0	0	403	403
29	तमिलनाडु	12525	5830	4634	2061	12525
30	तेलंगाना	12769	879	3	11887	12769
31	त्रिपुरा	1176	812	299	65	1176
32	उत्तर प्रदेश	95767	73677	15084	7006	95767
33	उत्तराखंड	15049	5898	3006	2553	11457
34	पश्चिम बंगाल	40600	25064	3457	6757	35278
<b>कुल</b>		<b>591531</b>	<b>318888</b>	<b>63317</b>	<b>123340</b>	<b>505545</b>

स्रोत: एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आंकड़े

अनुबंध-2

दिनांक 15-12-2023 की स्थिति के अनुसार एसबीएम (जी) चरण-II के अंतर्गत सृजित विभिन्न एसएलडब्ल्यूएम परिसंपत्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा									
क्र.सं.	राज्य का नाम	सामुदायिक कंपोस्ट खाद के गड्डों की संख्या	सामुदायिक बायो-गैस संयंत्रों की संख्या	कचरे के संग्रहण और परिवहन के लिए वाहनों की संख्या	कचरा संग्रहण और पृथक्करण शेड	सामुदायिक सोखता गड्डों/लीच पिट/मैजिक पिट की संख्या	सामुदायिक ग्रे-वाटर प्रबंधन प्रणाली की संख्या	पीडब्ल्यूएमयू की संख्या	ग्रामीण क्षेत्रों में एफएसटीपी की संख्या
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	172	0	675	70	119	19	7	20
2	आंध्र प्रदेश	31021	1395	29791	17434	6086	2582	138	6
3	अरुणाचल प्रदेश	5851	22	1317	4618	10380	1272	2	0
4	असम	3204	73	3134	3579	2065	23299	88	0
5	बिहार	8883	313	39963	4002	73365	4522	102	28
6	छत्तीसगढ़	80799	765	12347	10237	117394	7757	1	5
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	50	0	133	34	43	47	1	1
8	गोवा	381	28	416	389	313	55	4	0
9	गुजरात	28595	23	16455	6942	60497	1117	68	29
10	हरियाणा	4456	955	7093	3393	9677	4678	13	118
11	हिमाचल प्रदेश	1890	158	550	1337	4604	1543	26	18
12	जम्मू एवं कश्मीर	12326	328	6465	6542	23829	3321	57	1
13	झारखंड	47483	360	4733	4493	84367	8425	29	2
14	कर्नाटक	5573	138	7259	5284	3065	2155	10	65
15	केरल	2341	770	1407	2751	2515	618	55	2
16	लद्दाख	4	0	27	20	5	0	17	0
17	लक्षद्वीप	67	28	16	18	200	1	0	0
18	मध्य प्रदेश	127475	1326	26064	16562	171775	8130	7	384
19	महाराष्ट्र	33630	1269	16566	19145	68376	4856	5	5
20	मणिपुर	347	3	111	324	375	10	20	0

21	मेघालय	841	18	128	992	556	38	5	1
22	मिजोरम	1084	1	392	559	2165	126	7	0
23	नागालैंड	673	0	612	2155	1666	127	9	0
24	ओडिशा	41752	156	25383	27133	216122	1512	61	172
25	पुदुचेरी	108	1	192	109	41	1	1	0
26	पंजाब	2687	26	2570	2575	1090	9702	8	12
27	राजस्थान	17099	596	11781	9781	93283	4961	2	1
28	सिक्किम	336	2	303	358	314	143	15	0
29	तमिलनाडु	20739	261	70331	13823	42471	3571	282	91
30	तेलंगाना	16107	852	16914	14842	26660	2599	22	2
31	त्रिपुरा	2342	44	1099	791	4416	195	0	12
32	उत्तर प्रदेश	89645	848	43462	25025	243194	25921	45	1013
33	उत्तराखंड	12653	171	4650	8722	10650	1187	62	1
34	पश्चिम बंगाल	18603	219	13720	12918	123208	13707	49	0
	<b>कुल</b>	<b>619217</b>	<b>11149</b>	<b>366059</b>	<b>226957</b>	<b>1404886</b>	<b>138197</b>	<b>1218</b>	<b>1989</b>

स्रोत: एसबीएम (जी) की ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित आंकड़े

पिछले 5 वर्षों के दौरान एसबीएम (जी) के अंतर्गत, आबंटित और जारी की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केन्द्र के हिस्से की निधियां											
(करोड़ रुपये में)											
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि	आबंटन	जारी राशि
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	9.40	4.70	3.24	0.00	15.43	7.07	0.00	0.00	1.37	0.28
2	आंध्र प्रदेश	1381.18	1381.11	395.76	248.11	393.47	212.27	437.64	58.26	676.79	147.03
3	अरुणाचल प्रदेश	51.31	51.31	61.01	61.01	23.40	15.28	23.03	4.10	29.43	14.72
4	असम	882.09	882.09	612.66	545.97	558.85	276.81	513.56	256.78	495.71	214.45
5	बिहार	5887.48	2943.69	3419.65	1867.38	776.94	88.56	651.54	128.01	1544.86	711.49
6	छत्तीसगढ़	448.50	448.50	187.15	138.98	121.68	68.43	207.58	0.00	355.07	177.54
7	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	1.25	0.84	6.76	0.00	8.57	1.65	5.75	0.00	1.63	0.00
8	गोवा	0.00	0.00	0.26	0.26	19.24	0.23	61.27	15.32	34.38	25.19
9	गुजरात	465.83	192.92	314.83	238.45	499.20	312.56	342.73	171.37	284.68	53.63
10	हरियाणा	227.19	70.24	138.84	115.39	220.75	80.60	181.80	29.95	202.77	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	129.28	0.00	71.34	33.61	37.88	23.62	269.13	41.95	198.07	38.28
12	जम्मू एवं कश्मीर	682.91	278.37	424.36	139.58	64.89	24.89	246.98	120.00	494.20	116.79
13	झारखंड	753.04	753.02	473.57	473.57	429.67	153.31	148.51	0.00	300.64	70.03
14	कर्नाटक	739.74	739.73	244.97	219.80	227.75	126.31	0.00	0.00	665.34	155.84
15	केरल	53.10	12.47	153.37	141.40	137.01	103.73	34.68	5.66	308.04	74.00
16	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	3.93	2.71	14.25	3.56	17.30	1.28
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.74	1.94
18	मध्य प्रदेश	1181.89	590.94	331.99	242.65	493.98	291.48	668.96	334.48	411.14	184.56
19	महाराष्ट्र	2709.52	1352.92	679.67	396.97	340.62	276.75	1372.73	0.00	1740.11	0.00
20	मणिपुर	75.06	75.06	86.62	55.62	61.29	17.51	48.34	12.09	51.45	12.86

21	मेघालय	140.57	0.00	74.67	37.13	226.59	65.41	165.71	36.56	92.13	16.57
22	मिजोरम	25.46	12.73	17.61	10.78	21.93	14.05	17.62	13.22	19.67	9.84
23	नागालैंड	119.86	59.93	56.08	39.49	57.80	22.17	18.02	9.01	39.44	19.72
24	ओडिशा	2735.31	1367.62	2044.37	2044.37	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
25	पुदुचेरी	20.00	0.00	12.00	2.00	10.11	0.11	6.89	0.00	37.80	0.00
26	पंजाब	71.45	0.00	112.35	97.18	66.06	65.94	52.87	0.00	168.19	42.05
27	राजस्थान	865.88	865.88	666.95	390.00	569.78	229.26	551.85	275.93	624.90	288.78
28	सिक्किम	23.02	1.96	12.41	5.44	13.79	6.15	19.73	4.49	23.17	5.79
29	तमिलनाडु	760.99	760.99	229.00	137.80	294.67	162.89	26.29	0.00	421.10	78.48
30	तेलंगाना	1030.10	515.05	257.27	119.93	262.16	46.86	180.67	0.00	542.94	0.00
31	त्रिपुरा	116.93	116.93	81.06	81.06	52.00	24.33	84.19	17.14	128.29	28.28
32	उत्तर प्रदेश	7414.07	7414.07	2249.94	2249.94	1790.48	800.32	1825.85	370.59	1529.38	910.23
33	उत्तराखंड	211.07	65.80	93.80	50.23	132.36	50.69	78.76	14.25	92.61	37.29
34	पश्चिम बंगाल	534.26	534.25	808.18	808.18	675.90	261.31	645.08	135.45	848.16	406.01
	<b>कुल</b>	<b>29747.74</b>	<b>21493.12</b>	<b>14321.75</b>	<b>10992.27</b>	<b>8667.08</b>	<b>3892.18</b>	<b>8902.01</b>	<b>2058.17</b>	<b>12388.50</b>	<b>3842.95</b>